

डा. रामेश्वर उराँव

अध्यक्ष

(भूतपूर्व सांसद-लोकसभा)

(पूर्व जनजातीय कार्य राज्यमन्त्री)

Dr. RAMESHWAR ORAON

Chairman

(Ex Member Parliament-LS)

(Former Minister of State for Tribal Affairs)



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

Government of India

National Commission for Scheduled Tribes

6th Floor, Lok Nayak Bhawan,

Khan Market, New Delhi-110003

Tel. : 011-24635721

Telefax : 011-24624628

अ.शा. पत्र सं० वीकेसी/2/2012/एसटीजीसीजी/एटीओटीएच/आर.यू.-3

दिनांक: 14/01/2013

श्रद्धेय गृह मंत्री जी,

कृपया छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के सरकेगुड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच दिनांक 28.06.2012 को कथित मुठभेड़ में 17 आदिवासियों की मौत की घटना के संबंध में आयोग आपको अवगत कराना चाहता है कि उपरोक्त घटना पर आयोग के सदस्य श्री भैरू लाल मीणा द्वारा दिनांक 18.10.2012 को घटना स्थल का दौरा किया गया। दौरे के दौरान ग्रामीण लोगों से जानकारी मिली कि सरकेगुड़ा एवं राजपेंटा, ग्राम पंचायत कोत्तागुड़ा के दो आश्रित ग्राम हैं। इन गावों की कुल आबादी लगभग 800 है जिनमें गोंड, मुरिया एवं दोरला जनजाति के लोग रहते हैं। दिनांक 28.06.2012 को लगभग 8 से 9 बजे की बीच उक्त गांव के लोगों की बैठक चल रही थी। अचानक पुलिस द्वारा उनको घेर लिया गया और अंधाधुन फायरिंग की गयी। जबकि उनके बीच में कोई नक्सली नहीं था। उक्त फायरिंग दौरान कुल 17 लोग मरे और 8 घायल हुए। गांव वालों ने यह भी अवगत कराया कि घायलों को शासन द्वारा 20,000/-रु० के मान से सहायता दी गयी किन्तु मृतकों के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आयोग द्वारा उक्त घटना स्थल का दौरा करने के उपरान्त निम्नलिखित अनुसंशाएं की गयी हैं :-

1. घटित घटना के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग को आवश्यक सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराएं जाए ताकि घटना के संबंध में वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।
2. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 07.07.2012 द्वारा गठित विशेष जांच दल के कार्य में तीव्रता लायी जाए जिससे घटना के वास्तविक तथ्य मालूम हो सकें।
3. जिला कलेक्टर, बीजापुर के आदेश दिनांक 29.06.2012 के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी, भोपालपटनम द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट शीघ्र पूरी की जाए।
4. सामाजिक सुरक्षा और विकास का लाभ उक्त गांवों के लोगों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है जिससे इंदिरा आवास योजना एवं बच्चों को शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।
5. न्यायिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

कृपया मैं आपका ध्यान गृह मंत्रालय द्वारा "आतंकी, साम्प्रदायिक एवं नक्सल हिंसा में पीड़ित/प्रभावित नागरिकों एवं परिवारों की सहायता हेतु केन्द्रीय योजना जारी निर्देशिका" के अन्तर्गत उक्त प्रभावित परिवारों को आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराये जाने की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा कि उक्त निर्देशिका के अन्तर्गत मृतक परिवारों को यथोचित मुआवजा एवं सहायता दी जानी चाहिए।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त प्रकार पुलिस ऑपरेशन की संभावना के समय आदिवासियों के इलाकों/क्षेत्रों में कम से कम नुकसान हो, के उपराचात्मक कदम भारत सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिए। कृपया घटित घटना के संबंध में प्रभावित/पीड़ित आदिवासी परिवारों के संरक्षण एवं विकास हेतु गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे इस प्रकार की घटना की पुर्नवृत्ति आदिवासी इलाकों में नहीं पनप सके ताकि आदिवासी लोगों का सरकार के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ाया जा सके।

सादर,

आपका,
रामेश्वर उरांव
(रामेश्वर उरांव)

श्री सुशील कुमार शिंदे,
गृह मंत्री,
भारत सरकार